संख्या-113/2021/2773/26-3-2021-4(56)/96 टी.सी.

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1305/स0क0/शिक्षा-अ/4/1331/2021-22, दिनांक-27.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वर्ष 2020-21 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देयता के भुगतान हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-80 के लेखाशीर्षक-2225-01-277-01-0102-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0-80000.00 लाख में से गत वर्ष 2020-21 में बैंको के मर्ज होने तथा अन्य कारणों से अवशेष रह गये 99378 छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने हेतु केन्द्रांश के रूप में रू0-12078.60 लाख एवं राज्यांश के रूप में रू0-8052.40 लाख अर्थात **कुल धनराशि रू0-20131.00 लाख (रू0-दो अरब एक करोड़ इक्तीस लाख मात्र)** की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैंः-

(1)- धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि पात्र छात्रों का पुनः मिलान कर लिया गया है।

(2)- कोषागार से उतनी ही धनराशि आहरित/अन्तरित की जायेगी जितनी की पुनर्मिलान के पश्चात पात्र पाये गये छात्रों हेतु आवश्यक होगी।

(3)-धनराशि कोषागार से पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पात्र छात्रों के बैंक खातो में सीधे अन्तरित की जायेगी।

(4)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रायोजन हेतु नही किया जायेगा। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(5)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ निर्गत की जा रही है कि इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज तथा शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

(7)-वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशां का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8)-अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकता एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(9)-स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(10)-स्वीकृत धनराशि का भुगतान योजना की नियमावली एवं भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।

(11)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(12)-यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/ दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-21 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-''2225-01-277-01-0102-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति-21-छात्रवृत्तिया और छात्रवेतन मद '' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-1365-दस-2021-22, दिनांक-30.09.2021 द्वारा प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

के0 रविन्द्र नायक
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-113/2021/2773(1)/26-3-2021-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

भवदीय

राकेश कुमार सचान
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in